कार्यालय नगर निगम,अजमेर

पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर

दूरभाष–0145–2429953 E-mail-ajmermc@gmail.com, Website : www.urban.rajasthan.gov.in/mcajmer

Major Head:- F04[M.H.21]CP/A.M.C./2023 /03 दिनांक :– 07-06-23

आपत्ति/सुझाव आमंत्रण सूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (राजस्थान अधिनियम 18 सन् 2009) की धारा 340 की उपधारा (i) के खण्ड L (i) सहपठित धारा 251 व 269 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर निगम अजमेर सीमा क्षेत्र के लिए (पशुघर मानक एवं आवारा पशु नियंत्रण) उपविधि का प्रारूप तैयार किया गया है। यह प्रारूप धारा 340 की उपधारा (2) के तहत यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सम्भावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने तक विचारार्थ सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित की जाती है।

उक्त प्रारूप नियमों की प्रति नगर निगम की **वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/mcajmer** पर व कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के प्रति आपत्ति एवं सुझाव यदि हो तो आयुक्त नगर निगम अजमेर के नाम व्यक्तिशः, डाक द्वारा या **mcajmer@gmail.com** पर मेल द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।

सचिव
नगर निगम अजमेर

उपायुक्त
नगर निगम अजमेर
दिनांक :–

Major Head:- F04[M.H.21]CP/A.M.C./2023

प्रतिलिपि :–

1. महापौर महोदय के निजी सहायक नगर निगम, अजमेर।
2. आयुक्त महोदय के निजी सहायक नगर निगम, अजमेर।
3. उपायुक्त (प्रशा./वि.) के निजी सहायक नगर निगम, अजमेर।
4. नोटिस बोर्ड (नगर निगम कार्यालय/गाँधी भवन/काँजी हाऊस)।
5. सुरक्षित पत्रावली।

सचिव
नगर निगम अजमेर

नगर निगम अजमेर (पशुघर मानक एवं आवारा पशु नियंत्रण) उपविधियां प्रारूप

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (राजस्थान अधिनियम 18 सन् 2009) की धारा 340 की उपधारा (1) के खण्ड (I), (i) सहपठित धारा 251 व 269 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम अजमेर द्वारा निम्नलिखित उपविधियां बनाई जाती हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, सीमा एवं प्रभाव :–

I. ये उपविधियां नगर निगम अजमेर (पशुघर मानक एवं आवारा पशु नियंत्रण) उपविधियां 2023 कहलायेगी।

II. ये उपविधियां नगर निगम अजमेर के क्षेत्राधिकार सीमा में प्रभावशील होगी।

III. ये उपविधियां तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होगीं।

2. परिभाषाएं :– इस उप विधि में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं हो।

I. अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 (अधिनियम 18 सन् 2009) से है।

II. ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत महापौर से है।

III. मुख्य नगरपालिका अधिकारी से अभिप्रेत आयुक्त से है।

IV. अनुज्ञाधारी'' से तात्पर्य लाइसेन्स धारक से है।

V. लाइसेन्स से तात्पर्य इन उपविधियों के अन्तर्गत प्रदान किये गये या किये जाने वाले लाइसेन्स से है।

VI. अनुज्ञाप्राधिकारी से तात्पर्य आयुक्त/उपायुक्त नगर निगम अजमेर से है।

VII. स्वामी से तात्पर्य अभिकर्त्ता, सेवक, प्रबन्धक एवं अधिवासी सम्मिलित है।

VIII. पशु से तात्पर्य गाय, भैंस, सांड, एवं बछडा–बछडी से है।

IX. पशु घर से तात्पर्य उस स्थान से है, जिसमें गाय मय बच्चा, भैंस मय बच्चा रखे जाते हों।

3. बिना लाइसेन्स के पशु रखने तथा चलाये जाने का प्रतिबन्ध :–

कोई भी व्यक्ति नगर निगम अजमेर सीमा में लाइसेन्स प्राप्त किये बिना किसी भी स्थान को पशु, के लिये उपयोग नहीं करेगा और न करने देगा। लेकिन इन उपविधियों के लागू होने की तिथि को जो पशु, पशुघर अस्तित्व में होगें। उनका लाईसेंन्स इन उपविधियों के लागू होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4. लाइसेन्स के लिये प्रार्थना' पत्र :–

I. कोई भी व्यक्ति नगर निगम अजमेर सीमा में एक गाय मय बच्चा अथवा एक भैंस मय बच्चा दोनों में से एक पशु के लिए, पशुघर के रूप में किसी भी स्थान को प्रयुक्त करने की अपेक्षा करता है, वह प्रपत्र–अ में प्रार्थना–पत्र अनुज्ञाप्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तावित स्थान की दो प्रतियों में मानचित्र प्रस्तुत करेगा।

II. प्रपत्र–अ में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञाप्राधिकारी अथवा इनके द्वारा अधिकृत अधिकारी स्थान का निरीक्षण करेगा/कराएगा तथा अपने आपको इस बात के लिये आश्वस्त करेगा कि प्रस्तावित स्थान प्रत्येक प्रकार से उपर्युक्त है तथा उससे किसी प्रकार की जन असुविधा अथवा अनुत्रास नहीं होगा तथा पड़ौसी और मौहल्ले के निवासियो के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण को कोई खतरा नहीं होगा।

III. अनुज्ञाप्राधिकारी के आश्वस्त हो जाने पर वह अनुज्ञार्थी को बिन्दु संख्या 9 के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा कराये जाने का आदेश देगा तथा अनुज्ञार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराये जाने पर ही लाइसेन्स जारी किया जायेगा।

IV. अनुज्ञाप्राधिकारी द्वारा स्थान के निरीक्षण पश्चात लाइसेन्स जारी किये जाने के लिए यदि आश्वस्त नहीं हो, तो वह कारण अभिलेखित करते हुए प्रार्थना–पत्र अस्वीकार करेगा अथवा यदि कोई कमी हो उसे ऐसी यथोचित अवधि में दूर किये जाने के लिए अनुज्ञार्थी को सूचित करेगा। यदि निर्दिष्ट अवधि में अनुज्ञार्थी द्वारा कमियां दूर नहीं की जावें तो प्रार्थना–पत्र स्वतः अस्वीकृत समझा जावेगा।

5. पशुघर मे केवल एक गाय के साथ बछडा–बछडी अथवा एक भैंस, पाडा या पाडी सहित रखे जावेगें जिसके लिये लाइसेन्स जारी किया गया है। उससे अधिक होने पर अथवा शर्तों के उल्लंघन पर लाइसेन्स निरस्त किया जा सकेगा।

6. प्रत्येक पशु की टेगिगं की जावेगी, जिस पर मालिक का नाम पता फोन नम्बर अंकित होगा। जिन पशुओं के कान में टैगिंग नहीं होगें उन्हें आवारा पशु मानते हुए पकडकर कांजी हाऊस/गौशाला/नगर निगम पशुगृह में भेजा जा सकेगा, जिन पशुओं पर टेंगिगं लगे हुए हैं यदि वे सार्वजनिक स्थान, सडक पर घुमते हुए पाये गये तो अनुज्ञाधारी से बिन्दु संख्या 7(i) में अंकित जुर्माना दर से जुर्माना वसूल किया जावेगा।

7. (i) कोई भी व्यक्ति लाईसेन्सशुदा पशुगृह के बाहर सड़क पर सार्वजनिक स्थान पर, नगर निगम की जमीन पर पशु नहीं रखेगा। यह पूर्णतः निषेध होगा तथा उल्लघंन पर अनुज्ञाप्राधिकारी द्वारा पशुओं को पकडकर नगर निगम के कांजी हाऊस/गौशाला/नगर निगम पशुगृह भेजा जा सकेगा। पशुओं की शहर सीमा (सडक मुख्य मार्ग एवम् सार्वजनिक स्थान) में विचरण निषेध होगा। नगर निगम के पशुगृह में शहर में विचरण करते हुए पशुओं को रखा जायेगा। नगर निगम द्वारा पकडे गये पशुओं से निम्न निर्धारित शास्ति एवं चराई शुल्क वसूल किया जायेगा–

नगर निगम अजमेर	जुर्माना प्रथम बार	जुर्माना दूसरी बार	परिवहन राशि प्रति पशु	चराई राशि प्रति पशु प्रतिदिन
गाय, भेंस,	5000	7500	500	100
बछड़ा, बछड़ी,पाड़ा–पाड़ी	750	2500	300	50

(ii) शहर में सार्वजनिक स्थानों पर रिजका/हरा एवं सुखा चारे की बिक्री बिना नगर निगम अनुज्ञप्ति के निषेध होगी। बिना अनुज्ञप्ति बेचान पर अनुज्ञाप्राधिकारी द्वारा 1000/– रूपये जुर्माना शास्ति आरोपित की जा सकेगी।

8. **लाइसेन्स की अवधि :–** इन उपविधियों के अन्तर्गत जारी किये गये प्रत्येक लाइसेन्स की अवधि एक साल की होगी जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी तथा उसके जारी किये जाने की तारीख से 31 मार्च तक ही होगी।

9. **लाइसेन्स फीस :–**

1.	• **गाय, भैंस,** • **केवल एक गाय अथवा एक भैंस दोनों में से एक पशु के लिए**	**1000 रू. प्रति वर्ष प्रति पशु**

I. नगर निगम अजमेर द्वारा संचालित कांजी हाऊस, धर्मार्थ रजिस्टर्ड गौशाला स्थापित नगर निगम पशुगृह, इन उपविधियों से मुक्त रहेंगे।

II. किसी भी शिक्षण संस्था या धार्मिक संस्था या जनहित में स्थापित अन्य संस्था द्वारा संचालित पशुगृह को उक्त लाइसेन्स आधी दरों पर जारी किया जावेगा।

III. पशुपालक को लाइसेन्स लेने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ शपथ–पत्र पशुधन सहायक की मौका रिपोर्ट, व्यक्तिगत परिचय पत्र, भूखण्ड का पट्टा या किरायानामा, बिजली एवं पानी के बिलों की प्रति (Covered area/Open area) के फोटोग्राफ तथा पशु का **(INAPH REGISTRATION)** ईयर टैगिंग तथा पशु का टीकाकरण कार्ड आवश्यक दस्तावेज पेश करने होगें।

10. **लाइसेन्स का नवीनीकरण :–**

I. प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स का निर्दिष्ट शुल्क जमा कराये जाने पर उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा तथा आगामी वर्षों की लाइसेन्स के नवीनीकरण किए जाने से अनुज्ञा प्राधिकारी को किसी प्रकार की आपत्ति की सूचना अनुज्ञाप्राधिकारी द्वारा लिखित में अनुज्ञाधारी को दी जावेगी।

II. प्रत्येक अनुज्ञाधारी लाइसेन्स की अवधि समाप्त होने पर 31 मार्च तक नवीनीकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। इसके पश्चात् 50/– रूपये प्रतिदिन प्रति लाइसेन्स अतिरिक्त

शुल्क देय होगा। जो किसी भी स्थिति में मूल लाइसेन्स फीस से अधिक नहीं होगा।

11. **लाइसेन्स अहस्तांतरणीय होगा :–** इन उपविधियों के अन्तर्गत जारी लाइसेन्स जिस स्थान व जिस व्यक्ति के लिये अथवा जिस कार्य के लिये दिया जावेगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा तथा लाइसेन्स अहस्तांतरणीय होगा। परन्तु व्यक्तिगत उपयोग के लिये रखे गये पशुओं के लाइसेन्स को उत्तराधिकारी के अनुसार जारी किया जा सकेगा।

12. **लाइसेन्स का निलम्बन या निरस्तीकरणः–**

I. कोई भी लाइसेन्स जनसुरक्षा अथवा जनस्वास्थ्य के आधार पर अथवा अनुज्ञाधारी द्वारा इन उपविधियों अथवा लाइसेन्स की शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञा अधिकारी द्वारा निलम्बन या निरस्त किया जा सकेगा।

II. खण्ड (1) में लाइसेन्स के निरस्तीकरण से पूर्व अनुज्ञाधारी को कारण बताने का यथोचित अवसर प्रदान किया जावेगा।

13. **लाइसेन्स की शर्तेः–**

I. जिस स्थान के लिये लाइसेन्स दिया जाना प्रस्तावित हो, वह स्थान उपयुक्त तथा पर्याप्त रूप से स्वच्छ तथा खुला होगा। प्रत्येक पशु के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 100 वर्गगज होगा।

Coverd Area : 170–200 वर्गफीट

Open Area : 200–250 वर्गफीट

Manger Length : 30–36 इंच (खुला बक्सा जिसमें पशु के लिये चारा रखा जाना है।)

II. अनुज्ञाधारी को लाइसेन्स इस शर्त पर दिया जावेगा कि वो पशुधन से कोई व्यापारिक गतिविधियां संचालित नहीं करेगा अर्थात् दूध तथा दूध से निर्मित कोई भी खाद्य पदार्थों आदि की बिक्री नहीं करेगा तथा स्वंय के उपयोग हेतु ही पशु रखेगा।

III. पशु पालक द्वारा पशु के गोबर, मूत्र संधारण हेतु उचित व्यवस्था रखनी होगी। खुले वातावरण में नहीं होना चाहिए। गोबर का संधारण एवं निस्तारण स्वंय के भूखण्ड़ में गढ्ढा बनाकर करना होगा। पशु पालक कैचुऐ की खाद बना सकेगा। निरीक्षण के समय गंदगी पाये जाने पर 1000 रूपये जुर्माना वसूल किया जावेगा।

IV. पशुपालक द्वारा मक्खी, मच्छर, गंदगी ना हो इसके लिए सफाई की पर्याप्त एवं उचित व्यवस्था करनी होगी तथा फिनाईल या डिसइंफेक्टेंट द्वारा नियमित छिडकाव करवाना होगा।

V. पशुपालक द्वारा पशु को खुला नहीं छोडा जावेगा।

VI. पशुपालक द्वारा पशु को आम–रास्ता व सार्वजनिक स्थान पर नहीं बांधा जावेगा।

VII. लाइसेन्स शुदा स्थान पर्याप्त हवादार और प्रकाश युक्त होगा।

VIII. पशुघरों के अन्दर या उनकी छत पर किसी प्रकार का कोई आवासीय निर्माण नहीं किया जावेगा।

IX. पशुघरों की दीवारों की ऊंचाई धरातल से कम से कम 5 फुट तक होगी।

X. किसी भी पशुघर में कोई भी स्थान ऐसा नहीं बनाया जायेगा, जिसमें विक्रय के लिए दूध रखा जा सके या दूध भण्डारण किया जा सके। दूध के भण्डारण के लिए पशुघर में अलग कमरा बनाया जावेगा, जो कम से कम 10 फुट दूर होगा।

XI. कोई भी पशुघर ऐसे स्थान पर नहीं बनाया जावेगा जिससे 50 फुट की दूरी के अन्दर कोई खाद्य या पेय पदार्थ विक्रय किये जाने के लिए रखे जाते हों।

XII. पशुपालक द्वारा नगर निगम के महापौर/आयुक्त/उपायुक्त/पशु चिकित्सक तथा अधिकृत अधिकारी द्वारा लाईसेन्स मांगने पर मौके पर उपलब्ध करवाना होगा।

XIII. लाईसेन्स इस शर्त पर दिया जायेगा, कि जब भी अनुज्ञाप्राधिकारी को यह जानकारी प्राप्त होने पर कि लाईसेन्स गलत तथ्यों पर जारी हो गया है अथवा अनुज्ञा प्राधिकारी लाईसेन्स निरस्त कर दे या अन्य कारण से निरस्त हो जाये तो अनुज्ञा प्राधिकारी ऐसे पशुघर को तीन माह में हटाने का आदेश दे सकेगा।

XIV. जब कभी भी नगर निगम द्वारा जनहित में यह निर्णय लिया जावे कि पशु घरों को आवासीय बस्तियों से हटाकर किसी निर्धारित स्थान पर ले जाया जावे, तब ऐसा आदेश प्राप्त होने के एक माह के अन्दर पशु का स्वामी अपने पशुओं को वहां से हटाकर नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर स्थानान्तरित कर देगा। इसके लिये कोई क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।

XV. प्रत्येक लाईसेन्स धारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह गोबर, कुडा करकट आदि के निष्पादन की नगरीय ठोस कचरा (प्रबन्धन व हथालन) नियम 2016 के अनुसार व्यवस्था करें। गोबर, लीद, कुडा करकट आदि के लिए कुडादान रखेगा। जिसे स्वंय के स्तर से प्रत्येक 10 दिन में नगर निगम सीमा से बाहर ले जाया जायेगा अथवा लाईसेन्सधारी केंचुआ खाद बना सकेगा। आवासीय बस्तियों में स्थित किसी भाग या खुली जगह में गड्ढा खोदकर गोबर लीद आदि को इकठ्ठा नहीं करेगा और न ही सडक पर या घर के बाहर डालेगा। सार्वजनिक मार्ग के किनारे किसी दीवार पर कंडे या छाने सूखाने के लिए नहीं डालेगा।

XVI. अनुज्ञाधारी पशुघर तथा पशुओं की पूरी सफाई रखेगा और प्रतिदिन कीटनाशक दवाईयों का छिड़काव करेगा जिससे आसपास रहने वालों को कोई अनुत्रास न हो, सफाई की व्यवस्था अनुज्ञाप्राधिकारी के निर्देशानुसार की जावेगी।

XVII. अनुज्ञाधारी के द्वारा लाईसेन्स की शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन करने पर एक माह का नोटिस, देकर लाइसेन्स प्रत्याहारित कर लिया जावेगा।

14. निरीक्षण :– मुख्य नगर पलिका अधिकारी, पशु चिकित्सक, जहां पशु चिकित्सक नहीं है वहां स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक अथवा नगर निगम के द्वारा इस हेतु प्राधिकृत कोई भी अधिकारी लाईसेन्स शुदा स्थान में प्रवेश कर सकेगें तथा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट अनुज्ञाप्राधिकारी को देगें जो उस पर नियमानुसार

कार्यवाही करेगा।

15. अपील :– इन उपविधियों के अन्तर्गत अनुज्ञाप्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी भी आदेश या निर्देश से व्यथित होने पर ऐसे आदेश या निर्देश के विरूद्व उसकी प्राप्ति से 30 दिवस की अवधि मे महापौर नगर निगम अजमेर के समक्ष अपील की जा सकती है।

16. शास्तियां :–

I. कोई व्यक्ति बिना लाईसेन्स या लाईसेन्स की शर्तों में से किसी शर्त के उल्लंघन या इसके प्रत्याहरण के पश्चात् या इसके निलंबन के दौरान, किसी स्थान को पशु रखने के उपयोग करता है या उपयोग किए जाने के लिए अनुज्ञात करता है तो दस हजार रू. तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा और निरन्तर अपराध की दशा में ऐसे और जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए जिसमें ऐसा अपराध निरन्तर रहता है 500/– रू. प्रतिदिन के हिसाब से दण्डित किया जावेगा।

II. **ख**ण्ड (1) के अधीन किसी स्थान के संबंध में दोष सिद्व प्राप्त होने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसे स्थान को बन्द करने का आदेश दे सकेगा, और ऐसे स्थान को इस प्रकार प्रयोग में लाने से रोकने के लिए उस पर व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा या अन्य जो भी उचित समझें, कदम उठायेगा।

17. समझौताः– इन उपविधियां के प्रयोजनार्थ राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत गठित समझौता समिति द्वारा अपराध का शमन अथवा समझौता किया जा सकेगा।

18. निरसन :– इन उपविधियों के प्रभावशील होने के पूर्व उपविधियों से संबंधित मामलों के लिए प्रचलित समस्त उपनियम, आदेश इन उपविधियों के प्रभावशील होने पर निरस्त हो जावेगी।

महापौर
नगर निगम अजमेर

आयुक्त
नगर निगम अजमेर

—ःआवेदक द्वारा प्रस्तुतः—
प्रपत्र — अ

1.	नाम (पशु पालक)	
2.	पिता / पति का नाम	
3.	पूर्ण पता	
4.	मोबाईल नं.	
5.	(व्यक्तिगत परिचय पत्र संबंधी दस्तावेज)	संलग्न है / नहीं
6.	पशु का विवरण	
7.	पशु की टैगिंग	है / नहीं यदि है तो टैग संख्या
8.	शपथ पत्र संलग्न	है / नहीं
9.	पशुधन सहायक / अधिकृत प्रतिनिधि की मौका रिपोर्ट	संलग्न है / नहीं
10.	भूखण्ड का स्वामित्व संबंधी दस्तावेज	पट्टा / किरायानामा / रजिस्टर्ड / दस्तावेज संलग्न है / नहीं
11.	बिजली / पानी के बिल	संलग्न है / नहीं
12.	COVERED AREA/OPEN AREA का विवरण मय फोटो	संलग्न है / नहीं
13.	पशु का टीकाकरण कार्ड	

आवेदक के हस्ताक्षर